कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/ 1005 /डी0ए0डी0एम0/2017 इन्दौर, दिनांक 25/04/2017

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विगत दिनों घटित घटनाओं से यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि शॉपिंग मॉल/रेडिमेड दुकानों के चेंजिंग रुम में सी0सी0टी0वी0 कैमरा के द्वारा आपत्तिजनक वीडियो बनाने की घटना से लोगों में आक्रोश एवं उससे उपजित अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है । इस प्रकार की घटनाओं से आम जन की भावनायें आहत् होकर लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर सकती हैं । इस प्रकार की घटनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो इस कारण से यह आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है। चूंकि इन्दौर प्रदेश का रेडिमेड गारमेंट के क्षेत्र में अग्रणी शहर है और यहां पर कई शॉपिंग मॉल और रेडिमेड सूट्स, साड़ी और अन्य महिलाओं संबंधी गारमेंटस की दुकानों का संचालन बड़ी संख्या में होता है, जिनमें चेंजिंग (ट्रायल) रुम भी दुकानदारों द्वारा उपलब्ध कराये जाते है। शहर में संचालित शॉपिंग मॉल/रेडिमेड दुकान पर उक्त चेंजिंग रुम विनियमित किया जाना उक्त घटना के आलोक में आवश्यक हो गया है।

2. विगत् घटनाक्रम से स्पष्ट है कि शापिंग मॉल/गारमेंट्स एवं कपड़ा दुकानों पर ऐसी घटना के घटित होने से यह आचरण वर्तमान परिवेश में आम लोगों की सामाजिक एवं निजी भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला है, यह कृत्य एकांतता एवं निजिता का हनन करने वाला है और लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है। इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने लिये उद्दीप्त (Incite) कर सकती है । इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य की निजिता, एकान्तता, गरिमा के साथ जीवन यापन के अधिकार के अतिक्रमण और जानमाल को खतरा आसन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही है। अतएव इस प्रकार की असामाजिक/अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

3. अतः मैं **पी. नरहरि, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूं :–

(I) समस्त रिटेल/रेडिमेड गारमेंट्स की दुकानों के संचालनकर्ता/शॉपिंग मॉल के मालिक एवं संचालनकर्ता इस आशय का एक घोषणा–पत्र अपने क्षेत्र के एस0डी0एम0 एवं थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे कि– उन्होंने अपने संस्थान में चेंजिंग (ट्रायल) रुम में किसी भी प्रकार का कैमरा या अन्य इलेक्ट्रानिक यंत्र/डिवाईस नहीं लगा रखा है, जिससे किसी महिला की निजिता के अधिकार का अतिक्रमण करते हुए फोटो/विडियो लिये जा सकें। संचालनकर्ता द्वारा घोषणा पत्र में यह तथ्य भी उल्लेखित करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)

उनके द्वारा संचालित संस्थान में कोई भी कैमरा इस प्रकार से नहीं लगाया गया है, जिससे किसी महिला की निजिता का अतिक्रमण होता हो।

(II) रिटेल/रेडिमेड गारमेंट्स की दुकानों शॉपिंग मॉल में चेंजिंग रूम में कैमरा न लगे होने के सम्बन्ध में सभी सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा महिला अधिकारी की उपस्थिति में एवं महिला थाना प्रभारी द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार जांच करेंगें । इस प्रकार के संचालित किसी शॉपिंग माल/गारमेंटस एवं कपड़ा की दुकानों के चेंजिंग रूमों कोई सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे होने अथवा वीडियों रिकार्डिंग होने के सम्बन्धी जानकारी में पाया जाता है, तो वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही जावेगी।

(III) सभी शॉपिंग मॉल/शॉपिंग काम्पलेक्स कपड़े की दुकानें जहां चेंजिंग रूम स्थापित है, उन्हें इस आशय का बोर्ड सहज दृष्टिगोचर स्थल पर दर्शित करना होगा कि- "चेंजिंग (ट्रायल) रूम में सीसीटीवी/कैमरा/वीडियो रिकार्डिंग कानूनी रूप से अपराध है। इस तरह की कोई डिवाईस/यंत्र चेंजिंग रूम में नहीं लगाया जा सकता ।"

(IV) यदि किसी रिटेल/रेडिमेड गारमेंट्स की दुकानों के संचालनकर्ता/शॉपिंग मॉल के चेंजिंग (ट्रायल) रूम में कोई भी कैमरा इस प्रकार से लगाया गया है, जिससे किसी महिला की निजिता एवं एकान्तता का उल्लंघन होता है तो संचालनकर्ता भारतीय दण्ड विधान की धारा 354 (सी) एवं धारा 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (ई) तथा अन्य समुचित वैधानिक प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।

4. चूंकि यह आदेश जन सामान्य एवं किसी महिला की निजिता एवं एकान्तता, सामाजिक भावनाओं की सुरक्षा से जुड़ा व जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व इससे सम्बन्धित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विधिक प्रावधानों के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। अभियोजन किया जावेगा ।

7. यह आदेश दिनांक 25/04/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 26/04/2017 से दिनांक 23/06/2017 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा

(पी. नरहरि)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर
District Magistrate,
District-Indore (M.P.)

URGENT

क्रमांक / 1006 /टी.ए.डी.एम./ 2017 इन्दौर, दिनांक 25/04/2017

<u>प्रतिलिपि :-</u>

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज इन्दौर ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज, इन्दौर ।
5. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर
7. अपर कलेक्टर एवं अति0 जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी क्षेत्र, जिला इन्दौर ।
8. अति0पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र/ झोन-1-2/ग्रामीण क्षेत्र ।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुड़ैल / सॉवेर /महू / देपालपुर/हातोद.
10. एस0डी0एम0, विजयनगर, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, राऊ, संयोगितागंज ।
11. एस0डी0ओ0 पुलिस, इन्दौर, डॉ0अम्बेकर नगर(महू), सॉवेर, देपालपुर ।
12. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, सराफा, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज ।
13. उप पुलिस अधीक्षक, जिला विशेष शाखा/मुख्यालय, इन्दौर ।
14. अपर संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
15. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन साईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
16. शापिंग माल के स्वामी/प्रबन्धक..
17. निदेशक, आकाशवाणी, इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित ।
18. थाना प्रभारी, थाना ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकार से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु ।
19. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रुम, इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)